

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची,

दिनांक :- 25-8-12

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना./पद.-11-06/2012-4395 / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अधीन कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) के रिक्त पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु निम्नांकित स्तम्भ-02, में अंकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त स्तम्भ-04 में अंकित पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन का स्थान	रिक्त पद/कार्यालय का नाम (जिसका अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना है)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री उमेश प्रसाद(यॉ.) एम 366/पलामू/01.10.54	उप निदेशक, क्रय निर्माण एवं निविदा नियंत्रण प्रमंडल, आदित्यपुर	यॉत्रिक प्रमंडल ईचा चालियामा	
2	श्री उमेश कुमार राय(यॉ.) एम 378/दुमका/15.12.56	यॉत्रिक प्रमंडल, बनासो	यॉत्रिक प्रमंडल, चाडिल	

- यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 4395

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 4395

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सूवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ श्री उमेश प्रसाद (यॉ.), उप निदेशक, क्रय निर्माण एवं निविदा नियंत्रण प्रमंडल, आदित्यपुर/ श्री उमेश कुमार राय (यॉ.), कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्रमंडल, बनासो/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 06, 07/ब, 07/यो. एवं 08 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- संबंधित पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को संसूचित करेंगे।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)